

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ईसीजीसी लिमिटेड (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के सदस्यों की 67वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 9 सितंबर 2025, मंगलवार को 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

मद संख्या 1 - वित्तीय विवरणों को अपनाना

31 मार्च, 2025 तक कंपनी का तुलन पत्र, संबन्धित तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता एवं लाभ व हानि खाता एवं उन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना तथा उन्हें अपनाया जाना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का राजस्व खाता और लाभ और हानि खाता, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश शामिल हैं भारत (सीएजी), उस पर सीएजी की टिप्पणियाँ और सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट को एतद्वारा प्राप्त और अपनाया जाता है।”

मद संख्या 2 - लाभांश की घोषणा

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया कि ₹100/- के प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹10 (केवल दस रुपये) का अंतिम लाभांश, ₹4,338 करोड़ (चार हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ रुपये) की कुल चुकता शेयर पूंजी पर प्रत्येक पर केवल) हो और इसके द्वारा घोषित किया गया है।



इसके अलावा निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की कुल राशि ₹433,80,00,000 (केवल चार सौ तैंतीस करोड़ और अस्सी लाख रुपये) होगी और इसे मंजूरी दी जाती है।”

मद संख्या 3 - सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले

प्रधान कार्यालय संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखा कार्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित अधिकारों को अनुमोदित/प्रत्यायोजित किया जाना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक मंडल को समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार, नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने और मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक तब तक पद पर बने रहेंगे 68वीं वार्षिक आम बैठक का समापन।”

विशेष कार्य:

मद संख्या 4 - श्री सृष्टिराज अंबष्ठ (डीआईएन 10375617) की ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या A-12022/45/2014-E-IV(Pt) दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के अनुसार, 16 दिसंबर, 2024 से

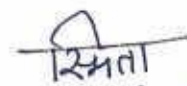


कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सृष्टिराज अंबष्ठ (डीआईएन 10375617) की नियुक्ति का प्रस्ताव एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 5 - श्री सुबीर कुमार दास (डीआईएन 10871349) की ईसीजीसी लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:
“यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आदेश फ़ाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-पार्टफ़ाइल दिनांक 13 जनवरी, 2025 के अनुसार, श्री सुबीर कुमार दास (डीआईएन 10871349) को 13 जनवरी, 2025 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड


02/09/2025

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 02, 2025

स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:
ईसीजीसी भवन,
सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,
एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400069.



Notes:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024, 09/2023, 14/2020, 17/2020 और 20/2020, दिनांक 19 सितंबर, 2024, 25 सितंबर, 2023, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के लागू प्रावधानों के अनुसार, जो कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति देता है, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई है; इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कौरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. 67वीं एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिक और लॉग-इन विवरण ई-मेल में उपलब्ध हैं। सुरक्षा कारणों से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वेब लिक/मीटिंग आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और लॉगिन क्रेडेंशियल की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी इंटरनेट स्पीड वाले लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
6. प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के ईमेल पते पर भेजी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर भी उपलब्ध होगी।
7. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, बैठक स्थल का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।



8. एजीएम के दौरान 'अनुबंधों या व्यवस्थाओं के रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं' के निरीक्षण के इच्छुक सदस्य 05 सितंबर, 2025 को या उससे पहले कंपनी को cs@ecgc.in पर लिखित रूप में अपना अनुरोध भेजेंगे। धारा 189 के तहत बनाए रखा गया रजिस्टर अधिनियम, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा।

9. खातों या इस एजीएम में निपटाए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी/स्पष्टीकरण चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 05 सितंबर, 2025 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर लिखें।

10. जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/कोई प्रश्न हैं, वे 05 सितंबर 2025 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

बैठक में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश:

I. लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ना (वेबकैम द्वारा)

चरण 1: 67वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 02 सितंबर, 2025 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक पर क्लिक करें और क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें। यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप या तो वेब पर मीटिंग में शामिल होना चुन सकते हैं या वेबेक्स डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 2: यदि डेस्कटॉप ऐप वांछित नहीं है, तो इसके बजाय वेब पर शामिल हों पर क्लिक करें।

चरण 3: 02 सितंबर, 2025 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। 'अभी शामिल हों' पर क्लिक करें।

चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

II. मोबाइल फ़ोन से जुड़ना

चरण 1: एप्लिकेशन स्टोर से वेबेक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (उदाहरण के लिए Google Play Store, iOS ऐप स्टोर, जैसा लागू हो।)

चरण 2: 67वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 02 सितंबर, 2025 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक का चयन करें और क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें।



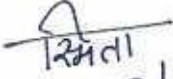
चरण 3: 02 सितंबर, 2025 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। अभी शामिल हों पर चयन करें.

चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

यह अत्यधिक अनुशंसित है कि अध्यक्ष/कंपनी सचिव द्वारा बोलने के लिए नाम की घोषणा को छोड़कर हर समय ऑडियो को म्यूट रखा जाए।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, आप cs@ecgc.in पर लिखकर या 022 - 66590626/537/456 पर कॉल करके तकनीकी टीम से संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड


02/09/2025
(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 02, 2025

स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:

ईसीजीसी भवन,

सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,

एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400069.



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य

मद संख्या 4 - श्री सृष्टिराज अंबष्ठ (डीआईएन 10375617) की ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति

निदेशक मंडल ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या A-12022/45/2014/E-IV(Pt) दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के माध्यम से ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री सृष्टिराज अंबष्ठ (DIN 10375617) की कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को रिकॉर्ड में लिया। श्री अंबष्ठ ने 16 दिसंबर, 2024 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ का प्रोफाइल और विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र इस सूचना के अनुलग्नक में दिए गए हैं। श्री सृष्टिराज अंबष्ठ को छोड़कर, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके संबंधित रिश्तेदार, सूचना के मद संख्या 4 में उल्लिखित प्रस्ताव से वित्तीय या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मद संख्या 5 - श्री सुबीर कुमार दास (डीआईएन 10871349) की ईसीजीसी लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निदेशक मंडल ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-पार्टफाइल दिनांक 13 जनवरी, 2025 के अनुसार ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (नीतिगत मामले) श्री सुबीर कुमार दास (डीआईएन 10871349) को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से अर्थात् 13 जनवरी, 2025 से नियुक्त किया है।

श्री सुबीर कुमार दास का प्रोफाइल और विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र इस सूचना के अनुलग्नक में दिए गए हैं। श्री सुबीर कुमार दास, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके संबंधित रिश्तेदार, सूचना के मद संख्या 5 में उल्लिखित प्रस्ताव से वित्तीय या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।



अनुलग्नक

निदेशक का विवरण	श्री सृष्टिराज अंबष्ठ	श्री सुबीर कुमार दास
डीआईएन	10375617	10871349
नियुक्ति की तिथि	16.12.2024	13.01.2025
जन्म की तिथि	17.05.1969	13.05.1966
आयु	56 वर्ष	59 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री, एमबीए (मार्केटिंग), एचआरएम में पीजी डिप्लोमा	एम.एससी., एमबीए (वित्त)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	विभिन्न स्तरों पर निर्यात ऋण बीमा में 28 वर्षों का अनुभव। इस नियुक्ति से पहले, वे 1 सितंबर, 2023 तक कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे।	विभिन्न स्तरों पर निर्यात ऋण बीमा में 30 वर्षों का अनुभव। इस नियुक्ति से पहले, वे 1 नवंबर, 2023 तक कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे।
अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोड़कर)	नहीं	नहीं
अन्य सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	नहीं	नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	एक (कंपनी के सीएमडी के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	नहीं
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और प्रमुख प्रबंधकीय कामों के साथ संबंध, यदि कोई हो	नहीं	नहीं
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण	₹78,38,305	₹79,11,222
	वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग में विवरण प्रदान किया गया है।	
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित और उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	7/7	2/2
	वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग में विवरण प्रदान किया गया है।	